UPAG010037672020

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आगरा

पीठासीन अधिकारी– (Sri Vivek Sangal), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06516**

सत्र परीक्षण संख्या–374 / 2020

राज्य ———————— प्रति ——————— रितिका आदि

धारा–306 भा0दं0सं0
थाना–लोहामण्डी,आगरा

<u>दिनांक 28.02.2022</u>

पत्रावली आज अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र 5ख पर आदेशार्थ पेश हुई। उक्त प्रार्थनापत्र पर विगत तिथि पर उभय पक्ष को सुना जा चुका है।

प्रार्थनापत्र 5ख अभियुक्तगण रितिका, राधा धूमस, सीताराम धूमस एवं अन्नू उर्फ अनीता धूमस की ओर से उन्मोचन हेतु इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार ही अभियुक्ता श्रीमती रितिका को घटना से दो माह पूर्व ससुराल से निकाल दिया गया था, जिसके चलते रितिका का तलाक उसके पति के रिश्तेदार कराना चाहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि रितिका के कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकेगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित सुसाइड नोट व केस डायरी के अनुसार कोई भी आरोप अभियुक्ता रितिका एवं अन्य के विरूद्ध नहीं है, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि मृतक विशेष को उनके द्वारा आत्महत्या करने हेतु उत्प्रेरित किया गया हो। वास्तव में मृतक विशेष कृत्रिम ज्वैलरी का काम करता था तथा काफी समय से एम0सी0एक्स0 का सट्टा लगाता था एवं उसकी बाजार में काफी देनदारी थी, इसी कारण वह परेशान रहता था। उसके परिवार वाले भी उसकी कोई आर्थिक मदद नहीं करते थे एवं उसके खिलाफ थे। सुसाइड नोट के लेखों की प्राईवेट जांच कराने पर मृतक विशेष के हस्ताक्षर भिन्न पाये गये हैं। वास्तव में अभियुक्ता रितिका के साथ घरेलू हिंसा व अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे उत्पीड़ित किया गया, जिसके संबंध में उसके द्वारा वाद न्यायालय में संस्थित किये गये। अभियुक्ता रितिका के पास इस वाबत भी साक्ष्य उपलब्ध है कि मृतक विशेष को उसके घरवालों द्वारा मारपीट की गयी एवं अभियुक्ता को गंदे एवं अश्लील मैसेज भेजे गये थे। अभियुक्ता श्रीमती

अन्नू उर्फ अनीता का निवास, सह अभियुक्तगण से अलग होने के कारण उसका इस घटना से कोई भी लेन–देन नहीं है, मात्र दवाब बनाने हेतु झूठा फंसाया गया है। केस डायरी में यह भी साक्ष्य आया है कि मृतक विशेष के ताऊ सीताराम ने मृतक की पिटाई की थी, जिसके संबंध में अभियुक्ता रीतिका के पास रिकॉर्डिंग भी है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई आरोप नहीं बनता है। अभियुक्तगण को उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अभियुंक्तगण की ओर से उन्मोचन प्रार्थनापत्र के साथ सूची 6ख/1 से प्रकीर्ण वाद संख्या 32/2020 श्रीमती रितिका मेड़तवाल प्रति किशनलाल मेड़तवाल अन्तर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम थाना एमम0एम0गेट, आगरा के वादपत्र की सत्य प्रतिलिपि 6ख/2 लगायत 6ख/16 , परिवाद संख्या 2962/2018 श्रीमती रितिका मेड़तवाल बनाम किशन मेड़तवाल के आदेशपत्र की सत्य प्रतिलिपि 6ख/17 लगायत 6ख/21, परिवाद संख्या 2962/2018 श्रीमती रितिका मेड़तवाल बनाम किशन मेड़तवाल के परिवादपत्र की सत्य प्रतिलिपि कागज संख्या 6ख/22 लगायत 6ख/24, मूलवाद संख्या 1329/2019 श्रीमती रितिका बनाम श्री किशन मेड़तवाल में प्रस्तुत वादपत्र की सत्य प्रतिलिपि कागज संख्या 6ख/25 लगायत 6ख/34, मूलवाद संख्या 1329/2019 श्रीमती रितिका उर्फ मोहिनी मेड़तवाल बनाम किशन मेड़तवाल आदि के आदेशपत्र की सत्य प्रतिलिपि कागज संख्या 6ख/35 लगायत 6ख/37, हस्तलेख विशेषज्ञ की रिपोर्ट की छाया प्रति 6ख/38 लगायत 6ख/44, कॉल डिटेल 6ख/45 लगायत 6ख/50 प्रस्तुत किये गये हैं।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), आगरा एवं वादी की ओर से उपस्थित विद्वान निजी अधिवक्ता द्वारा उन्मोचन प्रार्थनापत्र का घोर विरोध करते हुए इस आशय के तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि आरोप विरचित किये जाते समय न्यायालय को मात्र प्रथम दृष्टया साक्ष्य देखना है, उसकी गहराई से विवेचना किया जाना आवश्यक नहीं हैं। विवेचक ने घटना के सम्बन्ध में सुसंगत एवं ठोस मौखिक साक्ष्य के साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य भी संकलित किया है। विवेचक ने सम्पूर्ण साक्ष्य संकलित करने के पश्चात् ही धारा–306 भा0दं0सं0 में आरोपपत्र प्रेषित किया है। अभियुक्तगण जानबूझकर मुकदमे को विलम्बित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र निरस्त करते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किया जाये।

मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, आगरा तथा वादी की ओर से उपस्थित विद्वान निजी अधिवक्ता की बहस

सुनी तथा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार वादी किशन मेड़तवाल द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर दिनांक 07.10.2017 को समय 12.30 बजे प्राथमिकी दर्ज की गयी, जिसके अनुसार उसके पुत्र विशेष उम्र लगभग 26 वर्ष के कमरे का जब सुबह दरवाजा नहीं खुला तो वे दरवाजा तोड़कर अन्दर गये,जहां पर उसका पुत्र विशेष अचेत पड़ा हुआ था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। वे उसे तुरन्त श्रीराम हॉस्पीटल,एम0जी0 रोड,आगरा ले गये, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके कमरे में एक सुसाइड नोट मिला है, जिसकी मूल प्रति संलग्न है। उसकी मृत्यु के जिम्मेदार उसकी ससुरालपक्ष के लोग हैं, जो शादी के बाद से ही उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। उन लोगों के नाम रितिका (पत्नी), राधा धूमस (पत्नी की मां), अन्नू (लड़की की चाची), सीताराम धूमस (लड़की के बाबा) इनके अलावा लड़की के परिवार के लोग महेश धूमस (लड़की रितिका के पिता), अनिल धूमस, सुनील धूमस, राजेश धूमस, गौरीशंकर धूमस, गोविन्द धूमस, अंशुल धूमस व अन्य लोग लड़के विशेष को लगातार धमका रहे थे और मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान कर रहे थे कि उसे व उसके मां बापको दहेज के झूठे मुकदमे में जेल करा देंगे। 14, अगस्त 2017 को लड़के विशेष की पत्नी रितिका ने अपने पिता महेश धूमस, बाबा सीताराम धूमस और चाचा गौरीशंकर को बुला लिया और लड़के को धमकाकर कहा कि तू अपने मां बाप से अलग रह। दिनांक 14.08.2017 को लड़की रितिका घर से बहुत सारा सामान, जेवर और नकदी समेटकर इन लोगों के साथ अपने मायके चली गयी और साथ साथ धमकी दे गयी कि यदि उन लोगों ने पुलिस को खबर दी तो तुम सबको झूठे मुकदमे में जेल करा देंगे।

वादी की तहरीर पर थाना लोहामण्डी, आगरा पर अभियुक्तगण रितिका, राधा धूमस, अन्नू, सीताराम धूमस, महेश धूमस, अनिल धूमस, सुनील धूमस, राजेश धूमस, गौरीशंकर धूमस, गोविन्द धूमस, कुनाल धूमस तथा अंशुल धूमस एवं अन्य के विरूद्ध मु0अ0सं0 302/2017 अन्तर्गत धारा 306 भा0दं0सं0 पंजीकृत किया गया। विवेचना के उपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्तगण सीताराम धूमस, श्रीमती अनीता उर्फ अन्नू, श्रीमती राधा धूमस तथा श्रीमती रितिका के विरूद्ध धारा 306 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर संबंधित विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश दिनांकित 24.07.2019 के माध्यम से अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध धारा 306 भा0दं0सं0 में संज्ञान लिया गया, तदुपरान्त वाद दिनांक 31.01.2020 को सत्र सुपुर्द किया गया।

केस डायरी पर विवेचक द्वारा जो सामग्री व साक्ष्य संकलित की गयी है, उसके अनुसार वादी किशन मेड़तवाल ने केस डायरी के पर्चा दिनांकित 16.10.2017 में अपने बयान अन्तर्गत धारा–161 दं0प्र0सं0 में प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का समर्थन किया है। पुनः केस डायरी के पर्चा संख्या–30 में वादी द्वारा अपने मजीद बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया है एवं कहा गया है कि उसकी बहू रितिका झगड़ा करके अपने घरवालों को अक्सर बुला लेती थी, जिनमें उसकी मां राधा धूमस, रितिका की चाची अनीता धूमस उर्फ अन्नू व बाबा सीताराम धूमस अधिकांशतः आ जाते थे एवं उस पर दवाब डालते थे कि जो कोठी उसके नाम है, उसे रितिका के नाम कर दो। दिनांक 14.08.2017 को पूर्व षडयंत्र के तहत उसकी बहू ने अपने परिवारीजन पिता, बाबा व चाचा को बुला लिया एवं ये लोग उसकी बहू रितिका को घर से ले गये। उसकी बहू रितिका धूमस, राधा धूमस, अनीता उर्फ अन्नू व सीताराम धूमस आये दिन उसके लड़के विशेष का मानसिक उत्पीड़न एवं प्रताड़ना देने लगे। प्रताड़ना से तंग होकर उसके पुत्र विशेष ने दिनांक 6/7.10.2017 को आत्महत्या कर ली।

केस डायरी के पर्चा संख्या–31 में मृतक के चचेरे भाई गवाह वीरेन्द्र कुमार, जितेन्द्र कुमार ने भी विवेचक को दिये गये बयानों में वादी के बयान का समर्थन किया है।

इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध मूल सुसाइड नोट, जो 16 छोटे–छोटे कागजों पर लिखा गया है, में मृतक विशेष द्वारा अभियुक्तगण के संबंध में अंकित किया गया है कि ''रीतिका(मोहिनी) मेरी वाइफ ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, सबसे ज्यादा उसकी मां (राधा) बहुत ..... निकली, पता नहीं कौन से जन्म का बदला लिया। सुसाइड नोट के पांचवें पेज पर लिखा गया है कि इसमें एक इसकी चाची (अन्नू) अनिता धूमस सबसे ज्यादा ..... औरत है, इसने भी बहुत गलत–गलत कही हैं समाज से, इसको भी सजा मिले। सातवें पेज पर लिखा गया है कि रीतिका, उसकी मां और अन्नू को बहुत तड़पा कर सजा देना। सुसाइड नोट के 11वें पेज पर लिखा गया है कि वह इन तीनों की वजह से जा रहा है। इसका बाबा सीताराम धूमस भी बहुत बड़ा ..... है, बहुत समाज में झूठी उड़ा दी।

विवेचना के अनुक्रम में विवेचक द्वारा मृतक के कथित सुसाइड नोट की विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा से जांच कराई गयी। पत्रावली पर उपलब्ध विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या कागज संख्या 25 एवं 26 दिनांकित 09.01.2019 के अनुसार आवृत लेख/हस्ताक्षर ए–1 से ए–39 व आवृत लेख/हस्ताक्षर चिन्हित क्यू–1 से

क्यू–17 समस्त एक ही व्यक्ति द्वारा लिखे गये हैं।

मृतक की शव विच्छेदन आख्या के अनुसार मृतक की मृत्यु का कारण निश्चित न होने के कारण विसरा आगामी परीक्षण हेतु सुरक्षित रखते हुए विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा प्रेषित किया गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा की आख्या कागज संख्या 12 दिनांकित 07.06.2018 के अनुसार विसरा के भागों में **''आरगेनोफास्फोरस इन्सेक्टिसाइड विष'** पाया गया।

अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि मृतक विशेष द्वारा आत्महत्या किये जाने की दिनांक 07.10.2017 से लगभग दो माह पूर्व ही अभियुक्ता श्रीमती रितिका दिनांक 14.08.2017 को अपने मायके चली गयी थी तथा केस डायरी पर अभियुक्तगण द्वारा मृतक विशेष को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

इस पृष्ठभूमि में पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार ही यह निर्विवादित है कि अभियुक्ता श्रीमती रितिका एवं सह अभियुक्तगण घटना के समय अथवा इससे पूर्व घटनास्थल पर नहीं थे। वादी के अनुसार ही अभियुक्ता श्रीमती रितिका दिनांक 14.08.2017 को अपने मायके चली गयी थी। परन्तु केस डायरी पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी परिलक्षित होता है कि अभियुक्ता श्रीमती रितिका का मृतक विशेष, जो उसका पति था, से झगड़ा चल रहा था एवं अभियुक्तगण द्वारा मृतक विशेष एवं उसके परिवारीजन को प्रताड़ित किया जा रहा था। मृतक विशेष द्वारा सुसाइड नोट में अभियुक्ता रितिका एवं सह अभियुक्तगण द्वारा उसे परेशान किये जाने तथा उनकी प्रताड़ना के कारण ही आत्महत्या किया जाना उल्लिखित किया गया है। यह भी उल्लिखित किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ की गयी प्रताड़ना एवं कृत्यों के कारण ही उसके द्वारा आत्महत्या की जा रही है।

जहां तक अभियुक्तगण की ओर से उन्मोचन प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों एवं हस्तलेख विशेषज्ञ की जांच आख्या का प्रश्न है, उक्त सभी प्रपत्र, मृतक विशेष द्वारा आत्महत्या किये जाने के उपरान्त, अभियुक्तगण द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में हैं, जिनके आधार पर आरोप के स्तर पर कोई भी अभिमत दिया जाना विधिसंगत एवं संभव नहीं है। उनके संबंध में अन्तिम रूप से अभिमत, पक्षगण की साक्ष्य के उपरान्त प्रतिरक्षा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में दिया जा सकता है। इस स्तर पर उन्मोचन प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्य एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर प्रथम दृष्टया यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्तगण के

कृत्य/प्रताड़ना के कारण मृतक विशेष द्वारा आत्महत्या नहीं की गयी एवं अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

अभियुक्तगण की ओर से अपने तर्क के समर्थन में निम्न विधि व्यवस्थायें प्रस्तुत की गयी हैं–

1. State of West Bengal Vs Indrajit Kundu & Ors. 2020(1)SCC(Cri)136

2. Velladurai Vs State rep.by the Inspector of Police 2021(4)JIC 307(SC)

3- M.Arjunan Vs State Rep.by its Inspector of Police 2019(1)JIC 642(SC)

4- Arnab Manoranjan Goswami Vs State of Maharashtra & Ors.2021(1)JIC 250(SC)

अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त विधि विनिश्चयों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा 306 भा0दं0सं0 के आरोप हेतु यह देखा जाना आवश्यक है कि अभियुक्तगण द्वारा किये गये सक्रिय क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप ही मृतक द्वारा आत्महत्या की गयी।

उक्त सापेक्ष अभियोजन की ओर से प्रस्तुत विधि व्यवस्था– **तमिलनाडु राज्य द्वारा इस्पैक्टर ऑफ पुलिस विजीलसेंस एवं एंटी करप्शन बनाम एन0 सुरेश राजन एवं अन्य तथा राज्य प्रतिनिधित्व पुलिस उपाधीक्षक विजीलेंस एवं एंटी करप्शन बनाम के0 पोनमुदी एवं अन्य (2014) ।। सुप्रीम कोर्ट केसेज 709 एवं एम0ई0शिवलंगमूर्ति बनाम सी0बी0आई0 बंगलौर (2020) सुप्रीम कोर्ट केसेज (क्रिमिनल) 811** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि यदि पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया आंशिक सामग्री भी उपलब्ध है तो आरोप विरचित किया जाना चाहिए एवं साक्ष्य की गहराई से विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार का सिद्धांत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **बिहार राज्य बनाम रमेशसिंह (1979) 4 ए0सी0सी0 39** में प्रतिपादित किया गया है कि विचारण के प्रारम्भ में और उसकी आरंभिक अवस्था में विवेचक द्वारा प्रस्तुत करने वाली प्रस्तावित साक्ष्य की सत्यता, सत्यवादिता और प्रभाव को बारीकी के साथ जांचने की आवश्यकता नहीं होती है। आरोप गठन के प्रक्रम पर अभियुक्तगण की संभाव्य प्रतिरक्षा को भी विचार दिये जाने की आवश्यकता नहीं होती है। विचारण के इस प्रक्रम पर न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी नहीं है कि न्यायालय इस पर विस्तार से विचार करे और संवेदनशील संतुलन के अनुरूप यह तौले कि तथ्य यदि

साबित हो गये तो क्या अभियुक्त की निर्दोषिता के विरूद्ध जायेंगे। आरोप गठन के इस प्रक्रम पर न्यायालय को यह नहीं देखना है कि क्या अभियुक्त की दोषसिद्धि के पर्याप्त आधार है अथवा नहीं? माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त विधि व्यवस्था में यह भी अवधारित किया है कि प्रारम्भिक प्रक्रम पर ऐसा सशक्त संदेह विद्यमान होता है, जो न्यायालय को यह सोचने के लिए अनुप्रेरित करती है जो इस उपधारणा का आधार है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया है, तब न्यायालय के लिए यह कहना ठीक नहीं होगा कि अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही का पर्याप्त आधार नहीं है। इस प्रकार आरोप विरचित करने के लिए न्यायालय को इस प्रक्रम पर अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किये गये साक्ष्य की सच्चाई और विश्वसनीयता की सूक्ष्मता से जांच करने की आवश्यकता नहीं है। अभियुक्तगण को अन्तिम रूप से दोषी ठहराने से पूर्व लागू की जाने वाली कसौटी या सबूत का आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर लागू नहीं किया जा सकता है। अतः अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं का सम्मान किया जाता है, परन्तु उक्त विधि व्यवस्थाओं के तथ्य, वर्तमान मामले के तथ्यों से भिन्न होने के कारण, उनसे अभियुक्तगण को कोई मदद नहीं मिलती है।

प्रस्तुत प्रकरण में केस डायरी पर जो मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है, उसके आधार पर प्रकट होता है कि मृतक विशेष द्वारा मृत्यु से पूर्व छोड़े गये सुसाइड नोट में अभियुक्तगण के नाम अंकित हैं तथा उनके द्वारा किये गये कृत्य/प्रताड़ना के कारण ही मृतक द्वारा जहर खाकर आत्महत्या की गयी है। जहां तक अभियुक्ता श्रीमती रितिका के संबंध में यह कथन कि वह घटना से दो माह पूर्व ही अपने मायके आ गयी थी तथा सह अभियुक्ता अन्नू उर्फ अनीता अलग पते पर रहती है, तो केवल मात्र इस आधार पर ही यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्ता रितिका एवं सह अभियुक्ता अन्नू उर्फ अनीता द्वारा मृतक विशेष को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित नही किया गया, जब कि पत्रावली पर उपलब्ध सुसाइड नोट में मृतक विशेष द्वारा अंकित किया गया है कि अभियुक्ता रितिका एवं सह अभियुक्तगण की प्रताड़ना के कारण ही वह आत्महत्या कर रहा है।

विधि व्यवस्था प्रवीन प्रधान बनाम उत्तरांचल राज्य (2013)–1 एस0सी0सी0 (कि0) 146 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि कोई स्थापित फोरम नहीं है, जो इस प्रश्न को विशेष मामले में अवधारित कर सकते हैं कि क्या मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया, एक अनुमान परिस्थतियों से संभवतः किया जा सकेगा। जहां सदृश्य मृतक को ऐसी परिस्थतियों में रहने के लिए विवश किया गया, जिसने आत्महत्या करने के

लिए उसको उकसाया था, वहां उस अभियुक्त को, जिसने व्यथित परिस्थतियों को सृजित किया, आत्महत्या के दुष्प्रेरण का अपराध माना जायेगा। प्रस्तुत प्रकरण में यदि अभियुक्तगण के तर्कानुसार यह भी मान लिया जाए कि अभियुक्तगण द्वारा मृतक को आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित किये जाने का प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, परन्तु उक्त के सापेक्ष यह भी महत्वपूर्ण है कि मृतक द्वारा आत्महत्या से पूर्व लिखे गये सुसाइड नोट में वर्णित तथ्यों से प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतक को दी गयी मानसिक प्रताड़ना से उत्पन्न परिस्थतियों के कारण मृतक द्वारा आत्महत्या की गयी। अभियुक्तगण द्वारा अपने उन्मोचन प्रार्थनापत्र में अन्य जो बिन्दु उद्वेलित किये गये हैं, उनका विनिश्चयन विचारण की विषय वस्तु हो सकता है परन्तु इस स्तर पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–306 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पत्रावली पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री व साक्ष्य उपलब्ध है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचना के प्रकाश में इस स्तर पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को उन्मोचित किये जाने का पर्याप्त आधार होना परिलक्षित नहीं होता है। प्रार्थनापत्र 5ख तद्नुरूप निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 5ख निरस्त किया जाता है। पत्रावली आरोप विरचित किये जाने हेतु दिनांक 16.03.2022 को पेश हो। अभियुक्तगण नियत दिनांक पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

ह0
(विवेक संगल)
सत्र न्यायाधीश,
आगरा।

दिनांक : 28.02.2022